संख्या– 1785 / 38–8–2007–13ब / 2006

प्रेषक,

देवेन्द्र चौधरी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–8 लखनऊ : दिनांक 10 सितम्बर, 2007

विषयः **उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने हेतु 'महामाया आवास योजना' का कियान्वयन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे अनुसूचित जाति / जनजाति के आवासविहीन परिवारों को इन्दिरा आवास योजना के मानकानुसार आवास निर्माण हेतु राज्य द्वारा शत–प्रतिशत वित्त पोषित **'महामाया आवास योजना'** एतद्द्वारा प्रारम्भ की जाती है। महामाया आवास योजना का कियान्वयन जिला विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। योजना अनुसूचित जाति/जनजाति के नये आवासों के निर्माण हेतु प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ही लागू होगी।

2– नये आवासों के निर्माण के लिए योजना के अन्तर्गत प्रति इकाई लागत में सहायता अनुदान की सीमा निम्न प्रकार हैः–

निर्माण इकाई	मैदानी क्षेत्र	(बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में)
स्वच्छ शौचालय एवं धुआँ रहित चूल्हा सहित आवास का निर्माण	रू0 25000/–	रू0 27500/–

3– आवास के साथ स्वच्छ शौचालय एवं धुआंरहित चूल्हे के निर्माण हेतु अनिवार्य रूप से जिला स्तर पर पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित " सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना" से डवटेल (युगपित) कर निधियाँ प्राप्त की जायेंगी जिससे कि आवास के निर्माण के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध हो सके।

4– मकानों का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम होना चाहिए। विकल्पतः, इसे पति एवं पत्नी दोनों के नाम आवंटित किया जा सकता है। यदि परिवार में महिला अर्थात् पत्नी का देहान्त हो गया हो तो आवास विधुर को भी आवंटित किया जा सकता है। लाभार्थियों के चयन में भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना के दिशानिर्देशों के क्रम में शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग/अपंग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

5– आवासों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा इंदिरा आवास योजना की ही तरह व तत्सम्बन्धी दिशा–निर्देशों का अनुसरण एवं अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

6– राज्य के विभिन्न जनपदों, विकास खण्डों एवं ग्राम सभाओं को अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी की बाहुल्यता के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि के अनुपात में निम्न आधार पर धनराशि आवंटित की जायेगीः–

(i) **किसी एक जनपद को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि =**

सम्बन्धित जनपद में एस0सी0/एस0टी0 बी0पी0एल0 आवासहीन परिवारों की संख्या
——————————————————— X प्रदेश में उपलब्ध धनराशि
प्रदेश में एस0सी0/एस0टी0 बी0पी0एल0 आवासहीन परिवारों की संख्या

(ii) **किसी एक विकास खण्ड को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि =**

सम्बन्धित विकास खण्ड में एस0सी0/एस0टी0 बी0पी0एल0 आवासहीन परिवारों की संख्या
——————————————————— X जनपद में उपलब्ध धनराशि
जनपद में एस0सी0/एस0टी0 बी0पी0एल0 आवासहीन परिवारों की संख्या

(iii) **किसी एक ग्राम विशेष को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि =**

सम्बन्धित ग्राम पंचायत में एस0सी0/एस0टी0 बी0पी0एल0 आवासहीन परिवारों की संख्या.
——————————————————— X विकास खण्ड में उपलब्ध धनराशि
विकास खण्ड में एस0सी0/एस0टी0 बी0पी0एल0 आवासहीन परिवारों की संख्या

(क) ग्राम सभा स्तर पर लाभार्थियों का चयन बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के आधार पर यथासमय संशोधित तैयार की गई स्थाई प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध सबसे निर्धन वर्गीकृत व्यक्ति/परिवार के क्रमानुसार किया जायेगा।

(ख) इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारों एवं महामाया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत चयनित/लाभान्वित परिवारों में कोई द्विरावृत्ति (Duplication) न हो, इस हेतु जिला विकास अधिकारी का यह दायित्व होगा कि इन पृथक्–पृथक् योजनाओं में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चयनित/लाभान्वित परिवारों की सूची का मिलान करें, जिससे द्विरावृत्ति किसी भी दशा में न हों।

(ग) प्रतिवर्ष राज्य सहायता की अवमुक्ति दो किस्तों में दी जायेगी। तदनुसार जिलेवार कुल आवंटन के 75 प्रतिशत के बराबर प्रथम किस्त की धनराशि वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में अवमुक्त की जायेगी।

7– जिला विकास अधिकारी द्वारा, निर्धारित लेखांकन प्रकियाओं का अनुसरण किया जायेगा। पूर्व वर्ष के अन्तिम लेखों को 30 जून तक पूर्ण करके उसी वर्ष 31 अगस्त तक लेखा–परीक्षित कराना होगा और उसी वर्ष 30 सितम्बर तक शासन को लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियॉ प्रेषित की जायेंगी।

8– जिला विकास अधिकारी द्वारा एक राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित या सहकारी बैंक अथवा डाकखाने में एक अलग खाते में 'महामाया आवास योजना' की निधियों को रखा जायेगा। खाते का संयुक्त संचालन मुख्य विकास अधिकारी व जिला विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। योजना की निधियों की जमा राशियों पर अर्जित व्याज की राशि को महामाया आवास योजना संसाधनों का हिस्सा माना जायेगा। योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले खर्चे के लिए ही निधियॉ निकाली जा सकेंगी।

9– लाभार्थियों को भुगतान कार्य की प्रगति के आधार पर अलग–अलग किस्तों में किया जायेगा। भुगतान की किस्त को कार्य की प्रगति से जोड़ दिया जाना चाहिए। प्रथम किस्त 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी को अग्रिम के रूप में रेखांकित चेक के माध्यम से किया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्वारा आवास छत स्तर तक पूर्ण कर लेने के पश्चात् निर्गत की जायेगी।

10– किसी मकान को बनाने में किसी भी हालत में एक वर्ष से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। योजना का एक मकान बन जाने पर सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार निर्मित प्रत्येक मकान के लिए एक पट्टिका या बोर्ड लगाया गया हो जिस पर निर्माण वर्ष, लाभार्थी का नाम व योजना का नाम यथा: 'महामाया आवास योजना' अंकित हो।

11– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार कार्यवाही करते हुए निर्बल वर्गों के हितार्थ संचालित 'महामाया आवास योजना' के अन्तर्गत पर्याप्त आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवेन्द्र चौधरी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 1785 (1)/38–8–2007, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मां0 मंत्री जी, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
2. मंत्रिमण्डलीय सचिव, उ0प्र0शासन।
3. मुख्य सचिव,उ0प्र0शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–3/ समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ / नियोजन अनुभाग–4 ।
10. ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डी0के0 सिंह)
विशेष सचिव।